















## ♦ Justice Prevails: A Stand Against Mob Lynching

■ The Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) 2023 has introduced a new category of Culpable Homicide that targets the issue of mob lynching with an emphasis on justice, deterrence, and protection of victims. This is a significant step in the Indian criminal justice system, with cases of mob lynching rapidly increasing over the years.

## **♦** Special Provisions for Mob Lynching Offences

■ Special provision unveiled in Section 103(2) addresses offence related to mob lynching, stating that when a group of five or more persons acting in concert commits murder on the grounds of race, caste or community, sex, place of birth, language, personal belief or any other similar ground, each member of such group shall be punished with death or with imprisonment for life as stipulated under 'Punishment for Murder', and shall also be liable to a fine as deemed appropriate.







## न्याय की व्यापकताः मॉब लिंचिंग के खिलाफ एक कदम

भारतीय न्याय संहिता 2023 ने गैर इरादतन हत्या की एक नई श्रेणी पेश की है, जो न्याय, निवारण और पीड़ितों की सुरक्षा पर जोर देने के साथ मॉब लिंचिंग के मुद्दे को लक्षित करती है। यह भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में एक महत्वपूर्ण कदम है, पिछले कुछ वर्षों में मॉब लिंचिंग के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं।

## मॉब लिंचिंग अपराधों के लिए विशेष प्रावधान

धारा 103(2) में प्रस्तुत विशेष प्रावधान में मॉब लिंचिंग से संबंधित अपराधों को संबोधित किया गया है। इसमें कहा गया है कि जब पांच या अधिक व्यक्तियों का एक समूह मिलकर नस्ल, जाति या समुदाय, लिंग, स्थान, जन्म, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास या किसी अन्य समान आधार पर, हत्याएं करता है। ऐसे समूह के प्रत्येक सदस्य को 'हत्या के लिए सजा' के तहत निर्धारित मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी, और उचित समझे जाने वाले जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।







■ Similarly, acts of causing serious injury by mob solely on the grounds mentioned in 'mob lynching' provision has been punished strictly in section 117(4).







इसी प्रकार, केवल 'मॉब लिंचिंग' प्रावधान में उल्लिखित आधार पर भीड़ द्वारा गंभीर चोट पहुंचाने
के कृत्यों को धारा 117(4) में सख्ती से दंडित किया गया है।

